न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :: श्री मुकेश कुमार रेगर आर.जे.एस.

FIR NO. 177 / 2023 पी.एस. चौरासी, अपराध अंतर्गत धारा–19 / 54 ए, राज. आबकारी अधिनियम

CNR. No. RJDG090007692023

1. चन्द्रेश पिता नानजी भाई उम्र–35 वर्ष, निवासी सावर कुण्डला पुलिस थाना सावर कुण्डला जिला अमरेली हाल मकान नम्बर 69 सूर्य नगर सोसायटी ए.के. रोड पुलिस थाना सरथाना जिला सुरत (गुजरात)।

––प्रार्थी / अभियुक्त––

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी ––अप्रार्थी / अभियोगी–

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थिति–
01. श्री वीरेन्द्रसिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
02. सहायक अभियोजन अधिकारी –अप्रार्थी / अभियोगी की ओर से ।

:: आदेश :: **दिनांकः 11.08.2023**

01. सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थी / अभियुक्त चन्द्रेश की ओर से अधिवक्ता ने जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–437 दं0प्र0सं0 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। बहस जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

02. प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिए हैं कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय आपके समक्ष पेश किया जा रहा है जिसमें मुलजिम की पुलिस को आवश्यकता नहीं है और न ही उससे किसी भी प्रकार का माल बरामद करना है। मुल्जिम के खिलाफ ऐसा आरोप नहीं है कि जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा के प्रावधान हो। प्रार्थी / मुलजिम को आपसी वैमनस्यता के कारण झूँठा फंसाया गया है, जो वक्त कार्यवाही रोशन होगा। प्रार्थी / मुलजिम ही अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला है, यदि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसका परिवार भुखा मर जावेगा। प्रार्थी / मुलजिम श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का रहने वाला है, उसके कहीं भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी / मुलजिम पूर्व साजायाब या भगोडा नहीं है।

मुलजिम अपनी माकुल जमानत मुचलके पेश करने तत्पर है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का न्यायालय से निवेदन किया।

03. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत आवेदन पत्र खारिज किये जाने का न्यायालय से निवेदन किया।

04. उभय पक्षकारान के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 11.10.2022 को थानाधिकारी साः के आदेशानुसार स्वयं हैड कानि. मनोहरसिंह नम्बर 310 मय जाप्ता कानि. ईश्वरलाल नम्बर 21 के मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान सामग्री लेपटॉप, प्रिन्टर के लोकल स्पेशल व एम.वी. एक्ट की कार्यवाही हेतु पुलिस चौकी वैंजा से समय 9.00 ए.एम. पर रवाना पुलिस चौकी वैंजा के सामने पहूॅच कर नाकाबन्दी शुरू की गई एवं आने जाने वाले वाहनों को नियमानुसार चैक किया जाकर कार्यवाही की जा रही थी दौराने नाकाबन्दी के समय 10.30 ए.एम. के लगभग डूॅगरपुर की तरफ से एक टोयटा कार तेज गति से आती हुई नजर आई। जिसको पास आने पर स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता ने हाथ का ईशारा देकर रूकवाया तो टोयटा कार नम्बर जी.जे. डी.डी. चालक ने अपनी कार को नहीं रोककर तेज गति से भगाकर गौरादा की तरफ भागने लगा, जिस पर स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता ने मोटरसाईकिल से पिछा कर गोरादा घाटा के आगे मोटरसाईकिल को कार के सामाने आडी मार कर कार को रूकवाया तो कार चालक कार से उतर कर भागने की कोशिश करने लगा मगर स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता ने कार चालक को भागते हुए को पकडकर नाम पता पुछा तो अपना नाम राजेन्द्र पिता हिरनाथ जोगी निवासी पाडला सकानी पुलिस थाना आसपुर हाल वृंदावन फ्लेट नम्बर वेजलपुर अहमदाबाद गुजरात का होना बताया एवं स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता ने कार चालक को अपनी कार भगाने के बाबत् पुछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं देकर इधर–उधर बात करने लगा जिस पर स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता ने मनौवैज्ञानिक तरिके से पुछा तो अपनी कार के अन्दर अंग्रेजी शराब भरी हुई होना बताया गया। जिस पर कार की तलाशी ली जानी है, इस बाबत तलाशी वारंट प्राप्त किया जाना है। मगर मौके से न्यायालय एवं मुख्यालय की दुरी करीब 23 किमी. की होने से तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लगेगा इतने में माल खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना होने से मौके पर धारा– 47 आबकारी अधिनियम का पर्चा मूर्तिब किया जाकर कानि. ईश्वरलाल नम्बर 21 के द्वारा स्वतंत्र मौतबीरान् की तलबी कराई गई तो मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबीरान उपस्थित नहीं मिलने एवं मुख्य मार्ग होने से वाहनों की आवाजाही होने

पर मौके पर कार को खोलकर चैक किया जाना सम्भव नहीं होने पर स्वयं हैड कानि. मय जाप्ता के कार व चालक राजेन्द्र के मौके से साथ ले कर रवाना हो कर थाने पर उपस्थित आये। कार को चैक किया जाना है, जिस पर थाने से जाप्ता में से कानि. ईश्वरलाल नम्बर 21, व कानि. भंवरसिंह नम्बर 806 को मौतबीर मामुर कर कार को चैक किया गया तो कार के पीछे वाली सीट के अन्दर लकडी का बॉक्स बना हुआ था, जिसको खोलकर चैक किया गया तो विभिन्न किस्म अंग्रेजी शराब की खुली बोतल होना पाई गई एवं इसी प्रकार से कार के आगे का डैस्क बोर्ड को चैक किया गया तो कार के आगे के डैस्क बोर्ड के अन्दर भी विभिन्न किस्म की अंग्रेजी शराब की खुली बोतले पाई गई। कार के अन्दर से सभी अंग्रेजी शराब की बोतल नीचे उतार कर गिनती की गई तो Blenders pride की 48 बोतल प्रत्येक 750 एम.एल. की जिसके बैच नम्बर BPS020 व दिनांक 20.06. 2022, MC. DOWELLS NO. 1 की 24 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की, जिसके बैच नम्बर 113/l4 व दिनांक 20.07.2022 थी, ROYAL CHALLENGE की 24 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. जिसके बैच नम्बर 44/L4 व दिनांक 26.08.2022 थी, MAGIC MOMENTS की 11 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की, जिसके बैच नम्बर 30 व दिनांक 09.07.2022 थी, ALL SEASONS की 12 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की थी, जिसके बैच नम्बर 036 व दिनांक 27.08.2022 थी, OLD MONK XXX रम की 06 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की थी, जिसके बैच नम्बर 4 व दिनांक अगस्त 2022 थी, ABSOLUT VODKA की 06 बोतल प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की थी, REF NO. 163/012367/22-23, SMIRNOFF VODKA NO. 21 की 03 प्रत्येक बोतल 750 एम.एल. की थी, जिसके बैच नम्बर 24/15 व दिनांक 15.07.2023 थी,। उक्त शराब फोर सेल राजस्थान थी। उक्त शराब कार के चालक के द्वारा कार में भर कर परिवहन करने एवं अपने कब्जे में रखने बाबत् चालक को अनुज्ञापत्र के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया इस प्रकार राजेन्द्र पिता हिरनाथ जोगी निवासी पाडला सकानी पुलिस थाना आसपुर हाल वृंदावन फ्लेट नम्बर 411 वेजलपुरा अहमदाबाद गुजरात के द्वारा कार में अवैद्य अंग्रेजी शराब भर कर परिवहन करना जुर्म धारा– 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का होना पाया जाने से उक्त शराब को जरिये फर्द जप्त किया गया एवं कार नम्बर जी.जे. 15 डी.डी. 7178 को जरिये फर्द जब्त की गई एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया.....आदि।

05. उक्त प्रथम सूचना पर पुलिस थाना चौरासी द्वारा प्र.सू.रि. 177/2023 दर्ज कर अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–19/54 राज. आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त चन्द्रेश को धारा–19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधिन गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रकरण अन्वेषणाधीन है। अभियुक्त के वाहन से विभिन्न ब्राण्ड की कुल 134 बोतले, 750 एम.एल. की बरामद की गई। इस प्रकरण में पूर्व में अभियुक्त राजेन्द्र की जमानत इस न्यायालय से खारिज हो चुकी हैं।

मुताबिक केस डायरी प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जप्तशुदा वाहन को स्क्रेप में खरीदकर उक्त वाहन से अवैद्य शराब की तस्करी में प्रयुक्त किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के अधिन संचालित वाहन से 134 बोतल विभिन्न वैरायटी की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। अतः

अभियुक्त अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त चन्द्रेश के विरूद्ध अपराध 19/54 ए राज. आबकारी अधिनियम का अभियोग है जो कि गंभीर प्रकृति का आरोप है। मुताबिक केस डायरी अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

अतः संग्रहित सामग्री में अभियुक्त की लिप्तता एवं अपराध की प्रकृति, जप्तशुदा शराब की अधिक मात्रा एवं प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रेश का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रेश की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। केस डायरी लौटाई जावें।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर (राज0)

06. आदेश आज दिनांकः 11.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर (राज0)